न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढ़ी।

विचारण संख्या– 171/2024

सी0आई0एस0 नं0– 302/2023

बिहार सरकार द्वारा सूचिका प्रगती श्रीवास्तव .....अभियोजन

बनाम्

आदर्श कुमार एवं अन्य .....अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

उपस्थितः अशोक कुमार मांझी,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

निर्णय की तिथि

08वीं जुलाई, 2026.

(विचारण संख्या– 171/2024, सी0आई0एस0 नं0– 302/2023)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

सीतामढ़ी थाना कांड संख्या– 878/2022

Ashok Kumar Manjhi
08/07/26

परिवादी/सूचिका	बिहार सरकार द्वारा प्रगती श्रीवास्तव, पिता–सुनील कुमार श्रीवास्तव, ग्राम–महरानी स्थान कोर्ट बांजार, वार्ड नं0–17, थाना–सीतामढ़ी, जिला–सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्रीमति गिरिजा वर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो।
अभियुक्तगणः– 1. **आदर्श कुमार,** उम्र–22 वर्ष, पिता–सूजीत श्रीवास्तव 2. **सुजीत श्रीवास्तव,** उम्र–49 वर्ष, पिता–स्व0 गुलजार प्रसाद 3. **रिंकू श्रीवास्तव,** उम्र–40 वर्ष, पति–सूजीत श्रीवास्तव साकिनान–कोर्ट बाजार महारानी स्थान, वार्ड नं0–17, थाना–सीतामढ़ी, जिला–सीतामढ़ी।	
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्री मधु शंकर सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या– 171/2024, सी0आई0एस0 नं0– 302/2023

सीतामढ़ी थाना कांड संख्या– 878/2022

निर्णय की तिथि– 08वीं जुलाई, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम आदर्श कुमार एवं अन्य (अभियुक्तगण)

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	20.10.2022
प्राथमिकी का दिनांक	05.11.2022
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	19.08.2023
आरोप गठन का दिनांक	27.05.2025
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	26.06.2025
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	08.07.2026
निर्णय का दिनांक	08.07.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का कमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्ध	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
ए 1.	आदर्श कुमार	———	17.11.2022	धारा 147, 347 भा0द0वि0 एवं धारा 12, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 2.	सुजीत श्रीवास्तव	06.11.2022	09.11.2022	धारा 147, 347 भा0द0वि0 एवं धारा 12, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 3.	रिंकू श्रीवास्तव	———	17.11.2022	धारा 147, 347 भा0द0वि0।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi 08/07/26

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	पीड़िता सह सूचिका	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 2	सुनील कुमार श्रीवास्तव	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 3	मुकेश कुमार	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 4	विजय पंडित	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 5	अमित रंजन कुमार	अन्य साक्षी

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
08/07/26

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–1	टंकित आवेदन पर पीड़िता सह सूचिका का हस्ताक्षर।

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या– 171/2024, सी0आई0एस0 नं0– 302/2023

सीतामढ़ी थाना कांड संख्या– 878/2022

निर्णय की तिथि– 08वीं जुलाई, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम आदर्श कुमार एवं अन्य (अभियुक्तगण)

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. आदर्श कुमार 2. सुजीत श्रीवास्तव 3. रिंकू श्रीवास्तव** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 147, 347, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं **3. रिंकू श्रीवास्तव** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 147, 347, के अन्तर्गत ग्राम–कोर्ट बाजार महरानी स्थान, थाना–सीतामढ़ी, जिला–सीतामढी में दिनांक–20.10.2022 को कारित अपराध के लिए किया गया है।

Ashok Kumar Manjhi 08/7/26

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचिका सह पीड़िता के टंकित आवेदन के अनुसार यह है कि मेरे बगलगीर आदित्य श्रीवास्तव पिता–सूजीत कुमार श्रीवास्तव ग्राम–कोर्ट बाजार महारानी स्थान, वार्ड नं0–17 थाना वो जिला सीतामढ़ी पिछले एक वर्षों से मेरे साथ अश्लील हरकत करता रहता है। मैं श्री राधा गोयनका महाविधालय सीतामढ़ी में प्रथम खण्ड स्नातक की छात्रा हूं। मेरी उम्र–17 वर्ष है। जब भी मैं कॉलेज के लिए घर से निकलती हूं आदित्य मेरा पीछा करते हुए मेरे साथ छेड़खानी करता है एवं गंदी–गंदी बातें करता है। कई बार मेरे पिता जी द्वारा उसे समक्षया गया परंतु उसका चाल–चलन नहीं बदला। इसी क्रम में दिनांक–20.10.2022 को संध्या 5 बजे वह मेरे घर के बाहर खड़ा होकर अपने मोटरसाईकिल पर बैठ कर चलने हेतु कहने लगा। मैंने विरोध किया और जब मेरे पिता जी रात में आये तो मैंने सारा वृतान्त बताया तो रात्रि 8 बजे मेरे पिता जी उसे समझाने गया तो उसके पिता ने आगे से ऐसा नहीं करने का वचन दिया। अचानक रात्रि 10 बजे आदित्य श्रीवास्तव, सुजीत श्रीवास्तव, रिंकू श्रीवास्तव और आदर्श कुमार मेरे घर में घुस कर गाली–गलौज करने लगा और आदर्श कुमार अपने हाथ मे लिये पिस्टल को मेरे पिता के सर तान दिया और कहा कि आज इसकी बेटी की शादी अपने भाई से कराउंगा जिसका कि हमलोगों ने विरोध किया। जिस पर उक्त सभी लोग मेरे पूरे परिवार के साथ मारपीट करने लगा। अगल–बगल के लोगों के जुटने के कारण वे

लोग वहां से भाग गये परंतु आज सुबह भी आदित्य मेरे साथ अश्लील हरकत किया।

3. सूचिका सह पीड़िता के उपरोक्त टंकित आवेदन के आधार पर सीतामढ़ी थाना कांड संख्या–878/2022 दिनांक–05.11.2022 अन्तर्गत धारा 341, 447, 323, 354(डी), 504, 506/34, भा0द0वि0 प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण **1. आदर्श कुमार 2. सुजीत श्रीवास्तव 3. रिंकू श्रीवास्तव** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 341, 447, 323, 354(डी), 504, 506/34, एवं धारा 8, पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण **1. आदर्श कुमार 2. सुजीत श्रीवास्तव 3. रिंकू श्रीवास्तव** के विरूद्व उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

5. इस वाद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्तुत वाद विद्वान मुख्य0 न्या0 दण्डा0 सीतामढ़ी न्यायालय से स्थानांनतरण पर इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ है एवं विचारण संख्या– 171/2024 अंकित किया गया।

6. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. आदर्श कुमार 2. सुजीत श्रीवास्तव** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 147, 347, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं **3. रिंकू श्रीवास्तव** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 147, 347, के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

Ashok Kumar 08/7/26

7. अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दु

8. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये आरोपों को साबित करने मे कुल 05 साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराया गया है। जिसमे **अभियोजन साक्षी संख्या–2, 3, 4, 5 पक्षद्रोही साक्षी** है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता सह सूचिका** है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पी–1 टंकित आवेदन पर पीड़िता सह सूचिका का हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष ने अपने उपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए न तो कोई मौखिक साक्ष्य और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता सह सूचिका** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस वाद की पीड़िता सह सूचिका हूं। यह केस मेरे द्वार ही सुजीत कु0 श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, रिंकु श्रिवास्तव और आर्दश कु0 श्रिवास्तव के विरूद्व की थी। घटना के समय मेरी उम्र–18 वर्ष थी। यह घटना दिनांक–20.10.2022 की है, रात्रि की आठ–नौ बजे की है। उस समय मैं अपने घर पर थी। उसी समय मेरे घर से और सुजीत कु0 श्रिवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, रिंकु श्रिवास्तव और आर्दश कु0 श्रीवास्तव के बीच झगड़ा हो रहा था। इससे पहले उक्त लोगों ने मेरे साथ गाली–गलौज करता था। उसके बाद मैं एस0पी0 साहब को जाकर टंकित आवेदन दी थी, उसी टंकित आवेदन को आरक्षी अधिक्षक सीतामढ़ी के द्वारा संबंधित थाना मे भेज दिया गया था। टाईप आवेदन पर हस्ताक्षर करके आरक्षी अधिक्षक सीतामढ़ी में दी थी। यही वह आवेदन है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श **P-1/PW1** अंकित किया जाता है। केस दर्ज होने के बाद थाने से पुलिस मेरा बयान लेने नही आई थी और ना ही मेरा बयान न्यायालय मे हुआ था। वर्तमान मे मैं अपने माता–पिता के पास रह रही हूं। सभी अभियुक्तों को पहचानती हूं। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त रिंकू श्रिवास्तव को पहचानती हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि इस वाद के आदित्य श्रीवास्तव मेरे चचेरा भाई, सुजीत कु0 श्रीवास्तव मेरे अंकल, आर्दश श्रिवास्तव मेरे चचेरा भाई है। हमदोनों पक्षों का घर एक ही जगह है। हम दोनो पक्षों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है। वर्तमान मे हमलोगो के बीच कोई विवाद नहीं है। घटना के दिन अंधेरी रात थी, कौन लोग क्या बोला नहीं बता सकती हूं।

Ashok Kumar
08/07/26

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। कोई अपहरण या बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। किसी भी अभियोजन साक्षी ने मौखिकिय या दस्तावेजिक रूप से घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण निर्दोष है और अभियुक्तगण को इस वाद में गलत फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को रिहा किया जाय।

12. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल 05 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिसमे **अभियोजन साक्षी संख्या–2, 3, 4, 5 पक्षद्रोही साक्षी** है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता सह सूचिका** है। यह अपने मुख्य परीक्षण मे कहती है कि मैं इस केस की पीड़िता सह सूचिका हूं। टाईप आवेदन पर हस्ताक्षर करके आरक्षी अधिक्षक सीतामढ़ी में दी थी। यही वह आवेदन है जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श **P-1/PW1** अंकित किया जाता है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 इस वाद के आदित्य श्रीवास्तव मेरे चचेरे भाई, सुजीत कु0 श्रीवास्तव मेरे अंकल एवं आदर्श श्रीवास्तव मेरे चचेरे भाई है। हम दोनों पक्षों का घर एक ही जगह है। कंडिका 4 हम दोनों पक्षों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है। वर्तमान में हमलोगों के बीच कोई विवाद नहीं है। कंडिका 5 घटना के दिन अंधेरी रात थी, कौन लोग क्या बोला नहीं बता सकती हूं।

इस वाद मे अभियोजन साक्षी पीड़िता सह सूचिका है जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसका कथन है कि अभियुक्तगण मेरे चाचा एवं चचेरे भाई है। हमलोगों का घर एक ही जगह है। हम दोनों पक्षों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था, वर्तमान मे हमलोगों के बीच कोई विवाद नहीं है। घटना के दिन अंधेरी रात थी, कौन लोग क्या बोला नहीं बता सकती हूं। अभियोनज पक्ष की ओर से चार स्वतंत्र साक्षियों को साक्ष्य हेतु न्यायलय मे प्रस्तुत कराया गया, इन साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया तथा लोक अभियोजन के निवेदन पर इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया एंव अभियोजन पक्ष के द्वारा इस वाद मे अनुसंधानकर्त्ता को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे घटना संदेहात्मक हो जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लाए गए सभी आरोपों से युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः हर दृष्टिकोण से असफल रहे है। परिणामतः

Ashok Kumar
08/07/26

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या– 171/2024, सी0आई0एस0 नं0– 302/2023

सीतामढ़ी थाना कांड संख्या– 878/2022

निर्णय की तिथि– 08वीं जुलाई, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम आदर्श कुमार एवं अन्य (अभियुक्तगण)

आदेश

13. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रदर्शो पर विचार करते हुए न्यायालय इस नतीजे पर पाता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित किसी भी धारा को युक्तियुक्त संदेहों को पूर्ण करने मे असफल रहे है। अतः अभियुक्तगण **1. आदर्श कुमार 2. सुजीत श्रीवास्तव** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 147, 347, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं **3. रिकू श्रीवास्तव** का विचारण भा0द0वि0 की धारा 147,347 से साक्ष्य के अभाव मे संदेहों का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। चुंकि अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के सभी दायित्वों से उनमुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस वाद के साक्षियों के विरूद्व निर्गत अधिपत्र को बिना तामिला वापस करने हेतु संबंधित थाना को पत्र निर्गत करें एवं अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित, संशोधित, उद्घोषित

Ashok Kumar Manjhi 08/7/26

अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 08.07.2026

लेखापित

Ashok Kumar 08/7/26

अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 08.07.2026

1.	Date of Judgement/Order	08-07-2026
2.	Date of Reserving Judgement/Order	08-07-2026
3.	Uploading Date	20-07-2026
4.	Uploaded by	Sri Purnendu Kumar